कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांकः– 3153 एम.टी. / सामान्य वर्ग / 54एम0–171 / 2018 दिनांकः 06/04/2024

कार्यालय–ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मेसर्स गायत्री कान्स्ट्रक्शन(सोल प्रो0–गायत्री प्रसाद तिवारी), 980–सी डाडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर, जिला प्रयागराज का मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–8342एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम0–171/2018, दिनांक–22.07.2018 एवं पुनः पंजीकरण पत्रांक–6277 एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम0–171/2018, दिनांक–28.07.2022 द्वारा दिनांक–30.06.2025 तक के लिए किया गया हैं।

मेसर्स गायत्री प्रसाद तिवारी, 980–सी डाडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर, जिला इलाहाबाद(प्रयागराज) के प्रोपराइटर के नाम से पंजीकृत अन्य फर्म मेसर्स गायत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स, 980–सी डाडिया शिवपुरी मार्ग अल्लापुर जिला इलाहाबाद द्वारा कौशाम्बी में पैकेज संख्या–यू0पी 4285 अनुबन्ध संख्या 55/एसई–पीएमजीएसवाईवृ0प्रया0/2022–23 दिनांक–25.06.2022 के अनुबन्ध गठन के समय परफारमेन्स सिक्योरिटी एवं एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में देय रू0– 4612393.00 के सापेक्ष साउथ बैंक से निर्गत निम्न 07 एफ0डी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 प्रयागराज के कार्यालय में जमा की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:–

S.N.	Name of the Bank	TDR/FDR No.	Amount
01	02	03	04
पैकेज सं0–यू0पी04285 अनुबन्ध संख्या–55/एसई–पी0एम0जी0एस0वाई0वृतप्रया0/2022–23 दिनांक–25.06.2022			
1	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004055 Date 23-06-2022	5,00,000.00
2	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004056 Date 23-06-2022	5,00,000.00
3	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004057 Date 23-06-2022	5,00,000.00
4	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004058 Date 23-06-2022	5,00,000.00
5	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004059 Date 23-06-2022	5,00,000.00
6	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004060 Date 23-06-2022	5,00,000.00
7	South Indian Bank Civil line Pryagraj	Vide FDR No. 0627101000004064 Date 23-06-2022	2,00,000.00
		Total	32,00,000.00

दिनांक 08.04.023 को आपके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज के यहां इस अनुरोध का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उपरोक्त लगायी गयी साउथ इण्डियन बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के स्थान पर केनरा बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 लगा दी जाय। केनरा बैंक की प्राप्त एफडीआर क सत्यापनोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त,लो0नि0वि0 प्रयागराज के द्वारा उपरोक्त लगाई गई साउथ इण्डियन बैंक की उक्त 07 एफ0डी0आर0 को अवमुक्त कर दिया गया।

पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0 प्रयागराज के अधीन ही दूसरे खण्ड निर्माण खण्ड–2(प्र0प0) लो0नि0वि0 प्रयागराज के अन्तर्गत आपके द्वारा जनपद प्रयागराज के पैकेज संख्या–यूपी 03164 अनुबन्ध संख्या–55/एसई–पीएमजीएसवाई वृ0प्रया0/2021 दिनांक 25.05.2021 के देयकों से परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में 7.5 प्रतिशत की दर से काटी गयी कटौती की धनराशि दिनांक 25.06.2022 तक कुल रू0 3147756.00 की खण्ड द्वारा एस0बी0आई0. बैंक से एफ0डी0आर0 बनवाई गयी थी। आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि आपका एस0बी0आई0 बैंक खाता बन्द हो गया है। जिस कारण आप द्वारा तालिका–1 मे अंकित एफ0डी0आर0 संख्याओं को रू0 32.00 लाख की साउथ इण्डियन बैंक की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया गया कि एस0बी0आई0 बैंक द्वारा बनाई गयी एफ0डी0आर0 को अवमुक्त कर दिया जाय।

उक्त प्राप्त सातों एफ0डी0आर0 के सत्यापनोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–2(प्र0.प0) लो0नि0वि0 प्रयागराज के पत्रांक–385/1ए दिनांक 14.07.2022 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त लो0नि0वि0 प्रयागराज को उक्त 07 एफ0डी0आर0 (एस0बी0आई0 बैक) का अवमुक्त करने हेतु संस्तुति की गयी जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक 1660/3काम (प्रया0)–पीएमजीएसवाई वृत्त/2022 दिनांक 23.07.2022 द्वारा उक्त 07 एफ0डी0आर0 अवमुक्त कर दिया गया।

इस प्रकार निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0) लो0नि0वि0 प्रयागराज में एस0बी0आई0 बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के स्थान पर साउथ इण्डियन बैंक से निर्गत उपरोक्त कूटरचित एफ.डी.आर. जो कौशाम्बी खण्ड में भी जमा थी को लगाये जाने का अनुरोध किया गया जोकि अच्छी तरह समझबूझ कर कूटरचना करने का सुस्पष्ट साक्ष्य है।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0) लो0नि0वि0 प्रयागराज द्वारा साउथ इण्डियन बैंक से निर्गत उक्त 07 एफ0डी0आर0 को पुनः सत्यापित कराये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक साउथ इण्डियन बैंक को दिनांक 23.06.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में दि0 29.09.2023 को शाखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया

क्रमशः पृष्ठ–2

गया कि "उक्त 07 एफ0डी0आर0 में से 06 एफ0डी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त लो0नि0वि0 प्रयागराज से अवमुक्त कराकर अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0 प्रयागराज (स्टेट सर्किल) के नाम बंधक है एवं एक एफ0डी0आर0 रू0 2,00,000.00 लाख अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त लो0नि0वि0 प्रयागराज के नाम से बन्धक नहीं है तथा इस एफ0डी0आर0 का भुगतान प्राप्त क्लोज्ड करा लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0) लो0नि0वि0 प्रयागराज के कार्यालय में उक्त सभी एफ0डी0आर0 कूटरचित होने की पुष्टि होती है।

अतः एक ही समयावधि में उक्त 07 एफ0डी0आर0 को प्रयोग दो कार्यालयों के भिन्न–भिन्न अनुबन्धों में धरोहर धनराशि के रूप में किया गया जोकि फर्म/ठेकेदार द्वारा जानबूझकर एक बहुत ही बड़े स्तर पर कूटरचना है।

उक्त कृत्य हेतु मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि., प्रयागराज के पत्रांक–746/डिबार–पीएमजीएसवाई क्षे0प्रया0/2014 दिनांक 16.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस का आलेख प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में इस कार्यालय के 2008एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम0–171/2018, दिनांक–24.02.2024 द्वारा उक्त फर्म/ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण फर्म/ठेकेदार द्वारा दिनांक–04.03.2024 को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिउत्तर को इस कार्यालय के पत्र सं0–2351एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम0–171/2018, दिनांक–07.03.2024 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0 एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि., प्रयागराज को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0 एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि., प्रयागराज के पत्रांक–1148/डिबार–पीएमजीएसवाई क्षे0प्रया0/24 दिनांक 19.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि केवल वास्तविक तथ्यों से परे एवं असंगत टिप्पणी करते हुए भ्रमित करने की कोशिश की गयी हे, जो निरर्थक है।

अतः फर्म/पार्टनरों के प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं असंतोषजनक होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश संख्या–2365एम0एस0/23–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दिनांक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362 एम0टी0जी0/70एफ0–68 दिनांक–08.10.1982 एवं शासनादेश संख्या–4127एम0एस0/23 सा0नि0अनु0(7) दिनाँक–02.12.1974 के अन्तर्गत फर्म को 03 वर्ष के लिए काली सूची में डाले जाने के आदेश एततद्वारा पारित किये जाते है।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0 उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहें है।

ह0/=
(विजय सिंह)
मुख्य अभियन्ता(मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो.नि.वि., प्रयागराज।
8. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेषित।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2(प्र0प0), लो0नि0वि0 प्रयागराज।

पंजीकृत– 10. मेसर्स गायत्री कान्स्ट्रक्शन(सोल प्रो0–गायत्री प्रसाद तिवारी), 980–सी डाडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर, जिला प्रयागराज।

VS 06.4.24
मुख्य अभियन्ता(मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

AE शिव कुमार सुनील अग्रवाल
08/04/24